/271/ई–टेंडरिंग/2019–20/5935

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 25 जून, 2020

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,

———————— कछार/परियोजना

जल संसाधन विभाग,

————————(म.प्र.)

विषयः–अनुबंधों में गेट के कार्य हेतु MoU की कंडिका में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विभाग अंतर्गत प्रगतिशील अनुबंधों की समीक्षा के संबंध में प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 17 एवं 18 जून 2020 में ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग अंतर्गत टर्न–की आधार पर परियोजनाओं में Unit-I अथवा संयुक्त रूप से Unit-I एवं Unit-II के निर्माण के अनुबंधों की कंडिका अनुसार गेट के कार्य हेतु उन्हीं एजेंसियों के साथ MoU किया जा सकता है, जिन्हें पिछले पांच वर्ष में Supply, Fabrication एवं Erection का अनुभव हो, परन्तु बहुत कम एजेंसियों के पास Supply सहित Fabrication एवं Erection के कार्य संपादन का अनुभव है, साथ ही उक्त अनुभव रखने वाली एजेंसियों के पास अत्याधिक कार्य (Work Load) होने से समय पर गेट प्राप्त नही हो पा रहे हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में ठेकेदारों की कठिनाईयों एवं कार्य में हो सकने वाले विलंब की पृष्ठभूमि में निविदा प्रपत्र Volume II, Section II, Detailed NIT, Scope of work, Clause – Provision of Gates and Hoisting Arrangement के अंतर्गत Supply, Fabrication एवं Erection के स्थान पर Supply अथवा Fabrication एवं Erection का अनुभव रखने वाली एजेंसी के साथ भी MoU किये जाने को भी मान्य करने का निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त गेट कार्य हेतु किये जाने वाले MoU के संबंध में स्थापित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

उक्त व्यवस्था वर्तमान अनुबंधों पर भी प्रभावशील होगी।

(श्रीकांत दाण्डेकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठां. क्र. 271/ई–टेंडरिंग/2020–21/5936 भोपाल, दिनांक 25 जून, 2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, कक्ष क्रं. 320 तृतीय तल, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(श्रीकांत दाण्डेकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल